रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 16—अगस्त 22, 2009, शनिवार/श्रावण 25—श्रावण 31, 1931
No. 31] NEW DELHI, AUGUST 16—AUGUST 22, 2009, SATURDAY/SRAVANA 25—SRAVANA 31, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (निदेशक) भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (निदेशक) भर्ती नियम, 1994 में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	2*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + 10,000 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—		Not applicable.
1. Director General, Fishery Survey of India, Mumbai	—Chairman	
2. Deputy Director General (Fisheries), Fishery Survey of India, Mumbai	—Member	
3. Deputy Director General (Engineering) Fishery Survey of India, Mumbai	—Member	
4. Senior Administrative Officer, Fishery Survey of India, Mumbai	—Member	
5. Officer-in-Charge, Central Marine Fisheries Research Institute, Mumbai Research Centre, Mumbai	—Member	

[F. No. 2-22/2008-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय और प्रकाशन विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध लेखन सामग्री नियंत्रक के पद से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय (लेखन सामग्री नियंत्रक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखन सामग्री नियंत्रक	1*(2009) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय ।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जो न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।	**प्रोन्नति:** वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन वेतन रु. 6600 में ऐसे लेखन सामग्री उप नियंत्रक और निरीक्षण उप-नियंत्रक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

	(12)
	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या अर्द्धस्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस क्षेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य; और (ii) लेखन सामग्री और भांडागार के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव । **टिप्पण** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी प्रक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— 1. अध्यक्ष—अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. सदस्य—भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय का भारसाधक संयुक्त सचिव 3. सदस्य—संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय ।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2006-लेख.]

के. एल. भाटिया, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th August, 2009

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Directorate of Printing, Government of India, Stationery Office and Department of Publications (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1963 in so far as they relate to the post of Controller of Stationery, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of Stationery, in the Government of India Stationery Office in the Ministry of Urban Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government of India Stationery Office, (Controller of Stationery) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified of columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commisssion relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Controller of Stationery	*1(One) *(2009) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	PB-3 Rs.15600-39100 Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion :** Deputy Controller of Stationery and Deputy Controller of Inspection in the Pay Band-3 Rs.15600-39100 Grade Pay Rs. 6600 with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already complete such qualifying or elgibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous or Semi-Autonomous Bodies; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or Department ; and

	(12)
	(b) Possessing the following educational qualifications and experience:— (i) Graduate Degree from a recongnized University or equivalent; and (ii) possessing ten years experience in the field of Stationery and Stores. Note : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputation shall not be eligible for considerartion for appointment by promotion. [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman—Chairman or Member of Union Public Service Commission. 2. Member—Joint Secretary in-charge of Government of India Stationery Office, Ministry of Urban Development. 3. Member—Joint Secretary and Financial Adviser, Ministry of Urban Development.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A.-12018/1/2006-Sty.]

K. L. BHATIA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.